BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 944 OF 2024

IN THE MATTER OF:

RITESH PANDEY …APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. …RESPONDENTS

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of Respondent No. 3, U.P. Pollution Control Board	1-2
2.	**ANNEXURE 1:** A copy of the letter being Ref No. 767/O.A. No. 944/2024/2024 dated 19.10.2024	3-4
3.	**ANNEXURE 2:** A copy of the relevant note sheet	5
4.	**ANNEXURE 3:** A true copy of the Joint Committee Report	6-9

THROUGH

DATE: 04.11.2024
PLACE: NEW DELHI

STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB
C1/131 MOTI BAGH, SHANTI PATH,
NEW DELHI-110021
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

Notary Stamp Affixed Rs 10/-

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDIC

NOTARIAL NOTARIAL

CANCELLED

CM 186913

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

NOTARY
FURDUL
Advocate
FAIZABAD
Reg. No.
54(16)2001
GOVT. OF U.P.

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 944 OF 2024

IN THE MATTER OF:

RITESH PANDEY

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENTS

AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 3, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

I Dr. Triloki Nath Singh, aged about 59 years S/o Late Basdeo Singh, R/o Hans Nagar Colony, Taktakpur, Varanasi, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am Regional Officer, Ayodhya of Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter "UPPCB"). I say that I am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorised to swear the present Affidavit.

2. That in compliance with the order dated 16.10.2024, a letter was sent to Divisional Forest Officer, Ayodhya being Ref No. 767/O.A. No. 944/2024/2024 dated 19.10.2024 to ensure compliance with the provisions of the U.P Tree Protection Act, 1976 and, submit the action taken report so that the response may be submitted in Hon'ble NGT within the prescribed time period before next date of hearing on 06.11.2024. A copy of the letter has also been sent to District Magistrate, Ayodhya. A copy of the letter being Ref No. 767/O.A. No. 944/2024/2024 dated 19.10.2024 has been annexed herewith as **Annexure No. 1.**

3. That the order dated 06.10.2024 of Hon'ble NGT has also been communicated to District Magistrate for further necessary action before next date of hearing. A copy of the relevant note sheet has been annexed herewith as **Annexure No. 2.**

4. That a Joint Committee Report has been prepared and duly signed by the Regional Officer, UPPCB, Divisional Forest Officer, Ayodhya and District Magistrate, Ayodhya in compliance with this Hon'ble Tribunal's order dated 16.10.2024. A true copy of the Joint Committee Report is annexed herewith as **Annexure No. 3**.

5. That the above response of Uttar Pradesh Pollution Control Board is submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

NOTARY FURDUL Advocate FAIZABAD Reg. No. 54(16)2001 GOVT OF I

30/10/2024

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Ayodhya on this 30 day of October, 2024 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

30/10/2024

DEPONENT

Deponent ....
Identified By ....
SWORN & VERIFIED BEFORE ME

30-10-2024

तार : पर्यावरण
Gram : PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

फोन एवं फैक्स : 05278-245411
Tele &Fax : 05278-245411
Email Id - roayodhya@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

संदर्भ संख्या :
Ref. No. : 767/O.A-No-944/2019/2024

दिनांक :
Dated : 19/10/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अयोध्या वन प्रभाग,
जनपद–अयोध्या।

विषय– मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या–944/2024 रितेश पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या–944/2024 रितेश पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 16.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है–

"............4. Pursuant to order dated 11.09.2024, District Magistrate, Ayodhya has sent a reply dated 15.10.2024 annexing therewith a copy of so called Joint Committee Report which has not been submitted by Joint Committee constituted by this Tribunal but shows lot of persons who were not appointed as members of Committee and this Committee is totally unauthorised. Neither District Magistrate nor Regional Forest Officer were authorized to nominate anybody in their place and they had no authority to change constitution of Committee. This act on their part is nothing but a sheer defiance and non-compliance of Tribunal's order which is an offence under Section 26 of NGT Act, 2010 and for such offence both the said officers are liable to be prosecuted.

5. However, before taking any further action in the matter, we find it appropriate to direct District Magistrate, Ayodhya and Divisional forest Officer, Ayodhya to appear before Tribunal on 06.11.2024 to explain as to why they chose to change constitution of Committee instead of ensuring that report is submitted by Committee constituted by this Tribunal when no power of delegation was conferred upon these officers.

6. Further, we find that a justification for cutting of trees has been provided on the ground that complainant or the owner has no objection for cutting of trees but this assumption on the part of the so-called members of Committee who have submitted report is totally incorrect and illegal and shows lack of knowledge of law of petty officials who have submitted this report in as much as in U.P, U.P Tree Protection Act, 1976 applies and no tree can be allowed to cut without complying provisions of said Act irrespective of whether owner of land has given consent or has no objection.

7. Further, we find that so-called consent is only for construction of road and not for rest area.

8. Be that as it may, since full grown green trees, particularly mango tree which is within prohibited category notified by State of U.P cannot be allowed to cut in violation of provisions of law, it is clear that cutting of trees is ex facie illegal.

9. In these circumstances, we implead following as respondents:-
i. State of U.P through Secretary, Environment, Forest and Climate Change.
ii. District Magistrate, Ayodhya.
iii. UP Pollution Control Board through its Member Secretary
iv. Divisional forest officer, Ayodhya" ....

"......12. They may file replies within two weeks. In the reply they will explain specifically as to how and what circumstances trees can be cut without complying with law and why Environmental Compensation and prosecution under the Statute may not be directed against violating officials.

13. List on 06.11.2024."

मा० एन०जी०टी० में उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु अगली तिथि दिनांक 06.11.2024 को नियत है। मा० एन०जी०टी० द्वारा उक्त प्रकरण में प्रतिवादियों को 02 सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिउत्तर दाखिल/फाइल किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि U.P. Tree Protection Act, 1976 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुसार मा० एन०जी०टी० द्वारा उक्त प्रकरण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या इस कार्यालय एवं कार्यालय जिलाधिकारी, अयोध्या को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में प्रतिउत्तर निर्धारित समयावधि में मा० एन०जी०टी० में दाखिल/फाइल किया जा सके।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय

15/10/2024

(डा० टी०एन० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय, अयोध्या।
02. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
03. विधि अधिकारी प्रथम, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

15/10/2024

क्षेत्रीय अधिकारी

पृष्ठ / Page
टीपें एवं आज्ञायें
Notes & Orders

जिलाधिकारी महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–944/2024 रितेश पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2024 जो पत्रावली में दाहिनी ओर पताका "क" के रूप में संलग्न है, का अवलोकन करने की कृपा करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है–

"............5. *However, before taking any further action in the matter, we find it appropriate to direct District Magistrate, Ayodhya and Divisional forest Officer, Ayodhya to appear before Tribunal on 06.11.2024 to explain as to why they chose to change constitution of Committee instead of ensuring that report is submitted by Committee constituted by this Tribunal when no power of delegation was conferred upon these officers.......*"

"......12. They may file replies within two weeks. In the reply they will explain specifically as to how and what circumstances trees can be cut without complying with law and why Environmental Compensation and prosecution under the Statute may not be directed against violating officials.

13. List on 06.11.2024."

मा0 एन0जी0टी0 में उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु अगली तिथि दिनांक 06.11.2024 को नियत है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त प्रकरण में प्रतिवादियों को 02 सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिउत्तर दाखिल/फाइल किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त प्रकरण मुख्यतः वन विभाग से सम्बन्धित है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि U.P. Tree Protection Act, 1976 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुसार मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त प्रकरण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अयोध्या वन प्रभाग, अयोध्या को निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में प्रतिउत्तर निर्धारित समयावधि में मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल/फाइल किया जा सके।

25/10/2024

(डा0 टी0एन0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
अयोध्या

Annexure No-03
6

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–944/2024 रितेश पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 11.09.2024 तथा 16.10.2024 की अनुपालन आख्या

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–944/2024 में मा0 अधिकरण द्वारा स्वयं प्रकरण का संज्ञान लेते हुए सुनवाई के उपरान्त दिनांक 16.10.2024 को आदेश पारित किया गया, जिसका प्रासंगिक अंश निम्नवत् है:–

"... 4. Pursuant to order dated 11.09.2024, District Magistrate, Ayodhya has sent a reply dated 15.10.2024 annexing therewith a copy of so called Joint Committee Report which has not been submitted by Joint Committee constituted by this Tribunal but shows lot of persons who were not appointed as members of Committee and this Committee is totally unauthorised. Neither District Magistrate nor Regional Forest Officer were authorized to nominate anybody in their place and they had no authority to change constitution of Committee. This act on their part is nothing but a sheer defiance and non-compliance of Tribunal's order which is an offence under Section 26 of NGT Act, 2010 and for such offence both the said officers are liable to be prosecuted.

5. However, before taking any further action in the matter, we find it appropriate to direct District Magistrate, Ayodhya and Divisional forest Officer, Ayodhya to appear before Tribunal on 06.11.2024 to explain as to why they chose to change constitution of Committee instead of ensuring that report is submitted by Committee constituted by this Tribunal when no power of delegation was conferred upon these officers..."

उपरोक्त के कम में सादर निवेदन करना है कि अयोध्या जनपद में राजकीय कार्यो की अधिकता के कारण इस स्तर से जॉच हेतु अन्य अधिकारियों को नामित कर दिया गया था, मा0 अधिकरण के आदेश की अवहेलना की कोई मंशा नही थी। विनम्रता के साथ अवगत कराना है कि जनपद अयोध्या में विकास कार्यों के साथ–साथ बहुत से धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, जिस कारण इस स्तर से जॉच हेतु कई राजपत्रित अधिकारियों को नामित किया गया था, जिसमें से एक अधिकारी मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा नामित सदस्य को भी समिति में रखा गया था।

उपरोक्त परिस्थितियों के कारण उक्त स्थिति उत्पन्न हो गयी। जिलाधिकारी, अयोध्या तथा प्रभागीय वनाधिकारी, अयोध्या उपरोक्त कृत्य हेतु बेशर्त क्षमा प्रार्थी हैं। साथ ही पूरी ईमानदारी और पूर्ण आश्वासन के साथ प्रस्तुत किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नही होगी।

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 11.09.2024 तथा 16.10.2024 के अनुपालन में मा0 अधिकरण द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 25.10.2024 को उपरोक्त प्रकरण की जॉच पुनः की गयी, जिसकी जॉच रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग के पैकेज–2 के अन्तर्गत शिकायतकर्ता श्री रवि प्रताप सिंह का गाटा संख्या 542 व 531, ग्राम व पोस्ट–शेरवाघाट, तहसील–सदर, जनपद–अयोध्या स्थित है, जोकि वन विभाग के मया रेंज के अन्तर्गत आता है तथा जिस पर कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बस्ती द्वारा कार्य कराया जाना है। पैकेज–2 में कोई संरक्षित वनभूमि/उस पर स्थित वृक्ष प्रभावित नही हो रहें है।

अभी तक उक्त ग्राम में प्रभावित निजी वृक्षों का संयुक्त निरीक्षण किया जाना अवशेष है। अतः निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बस्ती द्वारा सर्वेक्षण के दौरान 60 मी0 की चौड़ाई में सीमांकन करते हुए लगाये गये पत्थर के आधार पर बाधक वृक्षों की गणना करायी गयी।

कार्यदायी संस्था द्वारा लगाये गये सीमा पत्थर के आधार पर बाधक वृक्षों की गणना की गयी, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

- मार्ग की चौड़ाई- 60 मीटर
- बाधक वृक्षों की कुल संख्या- 87 वृक्ष
- प्रजातिवार विवरण- 1. आम-60, 2. सागौन-25, 3. शीशम-01, 4. नीम-01

कार्यदायी संस्था द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.10.2024 में यह स्पष्ट किया गया है कि गाटा संख्या-542 व 531 में चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग की चौड़ाई 60 मी0 प्रस्तावित है तथा उक्त गाटों में रेस्ट एरिया निर्माण प्रस्तावित नही है। अतः उपरोक्त गाटों में वर्तमान में कुल 87 वृक्ष मार्ग निर्माण में बाधक पाये गये।

सादर अवगत कराना है कि अयोध्या एक धार्मिक एवं पौराणिक नगरी है तथा दिनांक 22.01.20224 को श्रीराम जन्म भूमि मन्दिर प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात् प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं का जनपद अयोध्या में आवागमन होता है। श्रद्धालुओं के अत्यधिक दबाव के कारण चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग भगवान श्री राम जन्मभूमि के निकट बस्ती जनपद स्थित मखौड़ा धाम से प्रारम्भ होकर अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, गोण्डा तथा बस्ती जनपद स्थित पारम्परिक पथ से गुजरते हुए वापस मखौड़ा धाम में समाप्त होता है। पौराणिक हिन्दु मान्यता के अनुसार अयोध्या के महाराजा दशरथ द्वारा त्रेता युग में बस्ती जनपद स्थित मखौड़ा धाम में पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ तथा चौरासी कोसी परिक्रमा की गयी थी, तब से चैत्र मास में हिन्दु धर्मावम्बियों द्वारा चौरासी कोसी यात्रा की जाती है। चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग आम जन मानस की आस्था का केन्द्र है तथा यह मार्ग श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर को विभिन्न पौराणिक व धार्मिक स्थलों से जोड़ता है। उक्त मार्ग के चौड़ीकरण से अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी।

इस मार्ग की कुल लम्बाई 253.60 किमी0 (डिजाइन लम्बाई 231.158 किमी0) तथा लागत रूपये 7413.21 करोड़ है। इस मार्ग को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.07.2021 को गजट नोटिफिकेशन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-227बी आवंटित किया गया है। इस मार्ग को दो लेन विथ पेव्ड शोल्डर एवं परिक्रमा पथ के रूप में कुल 6 पैकेज में विकसित किया जा रहा है, जिसके पैकेज-2 के अन्तर्गत शिकायतकर्ता श्री रवि प्रताप सिंह का गाटा संख्या 542 व 531, ग्राम व पोस्ट-शेरवाघाट, तहसील-सदर, जनपद-अयोध्या स्थित है, जिसमें कुल 87 वृक्ष प्रभावित हो रहें है।

उक्त मार्ग के चौड़ीकरण के पैकेज-2 में कोई संरक्षित वनभूमि/उस पर स्थित वृक्ष प्रभावित नही हो रहें है। गैर संरक्षित भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों का पातन "उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976" के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है। जिसके अनुसार पातन से होने वाले पर्यावरणीय क्षति की पूर्ति हेतु पातन होने वाले 01 वृक्ष के सापेक्ष 10 वृक्षों

के रोपण की धनराशि/राष्ट्रीय बचत पत्र कार्यदायी संस्था द्वारा अथवा वृक्ष स्वामी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था/वृक्ष स्वामी द्वारा वृक्षों के पातन हेतु आवेदन के समय उक्त धनराशि/राष्ट्रीय बचत पत्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जाएगी।

उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित तथा छूट प्रदान की गयी वृक्ष प्रजातियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5 के गजट नोटिफिकेशन–24/81–5–2020–07–93 दिनांक 07.01.2020 द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है, जिसका प्रासंगिक अंश निम्नवत् है:–

"उ0प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1904) की धारा–21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976) की धारा–21 एवं 23 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 2270/14–5–2017–07–93, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्षों को निपातित किये जाने का प्रतिषेध करती है:–

(1)आम (देसी/तुकमी), (2)नीम, (3)साल, (4)महुआ, (5)बीजासाल, (5)पीपल, (6)बरगद, (7)गूलर, (8)पाकड़, (9)अर्जुन, (10)प्लाश, (11)बेल, (12)चिरौंजी, (13)खिरनी, (14)कैथा, (15)इमली, (16)जामुन, (17)असना, (18)कुसुम, (19)रीठा, (20)भिलावा, (21)तुन, (22)सलई, (23)हल्दू, (24)बाकली, (25)करधई, (26)धौ, (27) खैर, (28)शीशम एवं (29)सागौन और व्यक्तिगत कृषित या आकृषित धृति पर स्थित अन्य प्रजातियों को छूट प्रदान करती है।

2–प्रतिषिद्ध प्रजातियों के वृक्ष दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक अपरिहार्य परिस्थितियों यथा–वृक्ष सूख गया हो या सूख रहा हो या व्यक्ति या सम्पत्ति के लिए खतरा पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुमोदित विकास कार्य के निष्पादन के लिए इसका निपातन किया जाना आवश्यक हो या समुपयोज्य व्यास प्राप्त कर लिया हो अथवा यदि उसकी फलदायी क्षमता सारभूत रूप से क्षीण हो गयी हो और ऐसे वृक्ष को निपातित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित में अनुज्ञा प्राप्त कर ली गयी हो, के सिवाय निपातित नहीं किये जायेंगे।..."

चौरासी कोसी परिकमा मार्ग के चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले किसी भी वृक्ष का पातन "उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976" तथा"वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम–1980" के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये बिना नही किया जाएगा। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 611/22–1 दिनांक 16.08.2024 द्वारा कार्यदायी संस्था को अवगत भी कराया जा चुका है।

उक्त प्राप्त धनराशि से जनपद के विभिन्न मार्गों के किनारे व अन्य खाली स्थलों/ग्राम समाज की भूमि, वन ब्लाक आदि स्थलों पर वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण का कार्य वन विभाग द्वारा किया जाएगा। साथ ही चौरासी कोसी परिकमा मार्ग चौड़ीकरण के उपरान्त उक्त मार्ग पर पातन किये गये वृक्षों के दोगुना वृक्षों का रोपण उक्त मार्ग के किनारे ही किया जाएगा। जिसमें पीपल, पाकड़, बरगद, कचनार, अमलताश, गोल्डमोहर तथा अन्य स्थानीय (Indigenous) प्रजातियों के पौधों का रोपण कर क्षेत्र को हरीतिमा से आच्छादित किया जाएगा। प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक 4683/22–1, दिनांक 27.06.2024 तथा पत्रांक 318/22–1, दिनांक 25.07.2024 द्वारा मार्ग के किनारे पौधरोपण हेतु स्थल उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बस्ती को पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त मार्ग चौड़ीकरण किये जाने से पूर्व राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से पूर्व सहमति प्राप्त किये जाने का प्राविधान है। तत्सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को प्राप्त नहीं है। यदि इस सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो जल अधिनियम–1974, वायु अधिनियम 1974 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 के अन्तर्गत

जारी अधिसूचनाओं यथा–पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के उपविधियों के अनुरूप अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करते हुए कार्यदायी संस्था को आवश्यक अनुपालन किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जाऐंगें।

अतः उपरोक्तानुसार रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
अयोध्या।

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, अयोध्या।

जिलाधिकारी,
अयोध्या।